5

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान् ~~कलेक्टर महोदय, जिला आगर~~ (म.प्र.)

प्रक.क्र. –......./2017 निग.

PBR/निगरानी/आगरमालवा/भू.रा/2018/0563

1. मायाराम आयु 40 साल,
2. गोपाल आयु 35 साल
3. अंशुबाई आयु 30 साल

पुत्रगण व पुत्री मांगीलाल

4. मांगुबाई विधवा मांगीलाल आयु 60 साल
5. सजनबाई आयु 60 साल 6. लीलाबाई आयु 55 साल

पुत्रियां भगवानसिंह

समस्त जाति आंजना , निवासी ग्राम जस्साखेडी तहसील बडोद जिला आगर मालवा म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

प्रार्थी [illegible] श्री एस.आर.यादव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 29-12-2017 29.12.17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरुद्ध

1. शंकरलाल आयु 50 साल
2. उंकारलाल आयु 48 साल पुत्रगण गणपतजी
3. सूरजबाई विधवा गणपतजी 70 साल
4. जीवनसिंह आयु 42 साल
5. सुरेशसिंह आयु 40 साल
6. करणसिंह आयु 38 साल पुत्रगण माधुसिंह

समस्त जाति आंजना , निवासी ग्राम जस्साखेडी तहसील बडोद जिला आगर मालवा म.प्र.

7. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम जस्साखेडी

.........रेस्पांडेन्ट्स

केम्प उज्जैन प्रा[illegible]
17-1-18
28/1/18

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता , 1959

(न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार बडोद के प्रकरण क्र. 21 अ–6अ/16–17 में पारित आदेश दिनांक 10/10/2017 से असंतुष्ट होकर)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/आगर मालवा/भूरा/2018/563

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अखलाक कुरैशी अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बडौद जिला आगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-10-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक का म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का इंद्राज दुरूस्ती का आवेदन इसलिये निरस्त किया है क्योंकि आवेदकपक्ष के भू-अभिलेख में नाम नहीं है । आवेदक को वारिसान का फौती नामान्तरण हेतु कार्यवाही पृथक से करना चाहिये । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	